न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 01 / 2025
दायर दिनांकः 14.02.2025
निर्णय दिनांक 25.07.2025

:: अनवान ::

1. कन्ना पिता नारू जी गायरी, जाति गायरी आयु 72 वर्ष, निवासी पीपलवास, केसुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. लोगर पिता नारू जी गायरी, जाति गायरी आयु 60 वर्ष, निवासी –पीपलवास, केसुली तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. उदा पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 65 वर्ष, निवासी पीपलवास, केसुली, तहसील देलवाडा जिला राजसमंद।
4. रूपा पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 62 वर्ष, निवासी पीपलवास, केसुली, तहसील देलवाडा जिला राजसमंद।
5. लालुराम पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 74 वर्ष निवासी – केसुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
6. उदयलाल पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 58 वर्ष निवासी केंचुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
7. तुलसीराम पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 58 वर्ष, निवासी केसुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
8. शंकरलाल पिता कालु जी गायरी जाति गायरी, आयु 55 वर्ष, निवासी केसुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
9. नारूलाल पिता कालु जी गायरी जाति गायरी आयु 54 वर्ष, निवासी केसुली तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पिता बसन्तीलाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी केसुली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. शारदा देवी पत्नी बसन्तीलाल जी जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी केसुली तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय देलवाडा, जिला राजसमंद।

– विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियमन 1970 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.आ./73/92 दिनांक 28/08/1992

उपस्थितः–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

2– श्री निखिल सनाढय, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 03 उपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 विरूद्ध आदेश क्रमांक/73/92 दिनांक 28.08.1992 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव केसुली पटवार हल्का केसुली तहसील देलवाडा जिला राजसमदं में खाता संख्या 306 में आराजी नम्बर 2588 रकबा 1.5176 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीया भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी जो विपक्षीगण के पिता के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल पिता गिरधारीलाल जी को गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमकसूद तरिके से आवंटन करवा दी गई जबकि उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण का आधिपत्य होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी करीब 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर उपयोग. उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण द्वारा काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर उसे काबिल काश्त किया तथा प्रार्थीगण का ही उक्त कृषि आराजियात पर आधिपत्य है परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना कब्जे की जांच किये मनमकसूद तरिके से विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल को आवंटन कर दी गई जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आवंटन पत्रावली में आवंटन के नियमों के विपरीत जाकर उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के आधिपत्य होने के पश्चात् भी बिना किसी जांच के राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सिपुर्दगीनामे एवं मौके पर्चे पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों का आधिपत्य हो जिसके सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विपक्षी के पूर्वाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मनमकसुद तरिके से कार्यवाही कर प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के नाम पर आवंटन करवा दी गई जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का सदिप से आधिपत्य होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर उसे काबिल काश्त किया एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा हकत, बुवत की जा रही है एवं उससे ही प्रार्थीगण एवं उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। विपक्षीगण उक्त आवंटन की आड में प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमियों से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल द्वारा जो आवंटन आवेदन किया गया उसमें भी मिथ्या तथ्य वर्णित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के परिवार के नाम पर राजस्व गांव केसुली में कृषि भूमि होने के पश्चात् भी विपक्षी के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल द्वारा अपने आवेदन पत्र की कलम संख्या 2 में किसी प्रकार की कोई कृषि भूमि नहीं होना दर्शित कर मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया जिससे भी उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर चारों और पत्थर का कोट भी कर रखा है परन्तु विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये और प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वे उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें और प्रार्थीगण की फसल को भी नुकसान कारित कर देगें। विपक्षीगण जोर जबरदस्ती उक्त अवैध आवंटन की आड में प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमियों से जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। आवंटन की गई भूमि आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद भी गलत रूप से आवंटन की गई है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आधिपत्य है। आवंटी ने आवंटन की शर्तों के अधीन नहीं आता है नही आवंटी भूमिहीन है और न ही आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है जिस कारण आवंटन अधिनियम की शर्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। बाद हेतुक दिनांक 01/02/2025 को विपक्षीगण मौके पर आये और जबरन प्रार्थीगण को धमकी देने लगे कि यह भूमि तो हमारे पुर्वाधिकारी द्वारा अपने नाम पर आवंटन करवा रखी है। हम तुम्हें उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड संकता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 से 2 के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल पिता गिरधारीलाल जी पालीवाल निवासी कंसुली को राजस्व गांव केसुली के आराजी नम्बर 2588 की भूमि के किये गये आवटन दिनाक 28/08/1992 को निरस्त फरमाया जावे एवं भूमि को राजस्व अभिलेखों में बिलानाम विपक्षी संख्या 3 के नाम पुन दर्ज की जायें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विपक्षीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री निखिल सनाढय ने उपस्थित होकर धारा 5 का जवाब व प्रारंभिक आपति सहित मूल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। व विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता प्रार्थी की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने राजस्व कर्मचारियों से गलत रूप से व मनमकसूद तरिके से भूमि आंवटित करवाई हो। इस तरह के मिथ्या आरोप तो कोई

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भी व्यक्ति कभी भी लगा सकता है। आवंटित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी आधिपत्य की थी और उनके देहावसान के बाद यह भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य में है और यदि भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के आधिपत्य में नहीं होती और उनके द्वारा भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जाता तो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों की पुष्ठि नहीं होती और इस तथ्य की पुष्ठि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट से भी होती है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताकर आंवटन को चूनौती दी है लेकिन उन्होनें उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कोई प्रमाण नहीं दिया है। आवंटन से पूर्व यदि यह भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में होती तो उस समय भूमि के बिलानाम होने के कारण प्रार्थीगण का कब्जा पी–14 में दर्ज होता या उन्हें कभी धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम को सूचना प्राप्त होता। प्रार्थीगण संख्या में ज्यादा और ताकतवर इसलिए वे अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने के लिए झूठेरूपेण अपना कब्जा बता रहे। प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर न तो कभी कब्जा था न ही कभी कब्जा रहा है और यदि प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा रहा है तो वै इसका सबूत न्यायालय में पेश करे क्योंकि मौखिक रूप से तो कोई भी व्यक्ति कभी भी कह सकता है कि उसका अमूक भूमि पर कब्जा है। प्रार्थीगण आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर उनके व उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा बता रहे है और इसका सबसे महत्त्वपूर्ण सबूत पी–14 या धारा 91 भू–रा.अधि. का सूचना पत्र ही हो सकता है किन्तु प्रार्थीगण ने इनमें से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो उनके कब्जे को दर्शाता हो। अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों को भूमि नियमानुसार आवंटित ही नहीं हुई वरन् उन्हें नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण ने भूमि आवंटन में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत होने बताया है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वे 33 वर्ष बाद ऐसी बात कर रहे जबकि उस समय तो अधिकांश प्रार्थीगण या तो जन्मे ही नहीं था या जन्म हो भी गया था तो नासमझ थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ही नहीं वरन् राजस्व कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगा रहे है। अप्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा रहा ही नहीं है तो उनके द्वारा इस भूमि पर काफी पूंजी खर्च किया जाना एवं श्रम किया जाना किसी प्रकार से संभव और विश्वास योग्य नहीं है। जब कब्जा ही अप्रार्थीगण का है तो उनका प्रार्थीगण को बेदखल करने को आमादा होना गलत है। अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को नियमानुसार भूमि का आवंटन हुआ है और आवंटन के लिए अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने कोई गलत तथ्य नहीं बताया था। आवंटन के समय अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के परिवार पास कौनसी और कितनी भूमि थी इस तथ्य को प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है और वैसे भी किसी आवंटी के पास आवंटन के समय कोई भूमि होना ही उसे आवंटी की पात्रता से बाहर नहीं कर देता है क्योंकि भूमिहीन काश्तकार की परिधि से उस व्यक्ति को बाहर किया गया जिसके पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो। यही नहीं प्रार्थीगण का संपूर्ण प्रार्थना पत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आवंटित भूमि उनके कब्जे की है बल्कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तो वे इस भूमि को उनकी व गांव वालों की रास्ते व मंदिर की होना बता रहे है। इससे यह स्पष्ट है

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कि प्रार्थीगण स्वयं भ्रमित है कि वे कहना क्या चाहते है। अप्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी को आवंटित कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है और अप्रार्थीगण द्वारा बनवाये गये पत्थर के कोट/बाउंड्रीवाल पर गलत रूप से अपना दावा कर रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि पर अपना कब्जा होना गलत बता रहा है। प्रार्थीगण हर कलम में एक ही बात बार बार दोहरा रहे है कि भूमि पर उनका कब्जा है लेकिन किसी झूठ को बार बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता है। यह कहना गलत है कि भूमि पर उनका कब्जा हो और इस कारण भूमि आवंटन योग्य न हो। यदि प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का विवादित भूमि पर कब्जा होता तो वे आवंटन के 33 वर्ष तक चूप नहीं बैठते बल्कि भूमि को अपने खाते कराने का प्रयास करते और यह भी संभव नहीं है कि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को भूमि आवंटन होने के बावजुद वे कब्जे से महरूम होने पर कोई कार्यवाही नहीं करते। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण गलत तथ्य बता रहे है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर न तो कभी था न हीं रहा है और जब उनका कब्जा ही नहीं है तो अप्रार्थीगण द्वारा उन्हें बेदखल करने का प्रयास करना सर्वथा झूठा एवं गलत तथ्य है। अप्रार्थीगण दिनांक 01.02.2025 को ही नहीं वरन् आये दिन अपने खेत पर जाते है और प्रार्थीगण अपने आप को आवंटन से अनजान होना दर्शाने के लिए गलत रूप से उक्त दिनांक को अप्रार्थीगण का मौके पर आना और उन्हें धमकी देना बता रहे है। प्रार्थीगण को आवंटन निरस्त कराने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व गांव केसुली पटवार हल्का केसुली तहसील देलवाडा जिला राजसमदं में खाता संख्या 306 में आराजी नम्बर 2588 रकबा 1.5176 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीया भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी जो विपक्षीगण के पिता के पुर्वाधिकारी बसन्तीलाल पिता गिरधारीलाल जी को गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमकसूद तरिके से आवंटन करवा दी गई जबकि उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण का आधिपत्य होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी करीब 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर उपयोग. उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण द्वारा काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर उसे काबिल काश्त किया तथा प्रार्थीगण का ही उक्त कृषि आराजियात पर आधिपत्य है परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना कब्जे की जांच किये मनमकसूद तरिके से विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल को आवंटन कर दी गई जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आवंटन पत्रावली में आवंटन के नियमों के विपरीत जाकर उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पुर्वाधिकारियों के आधिपत्य होने के पश्चात् भी बिना किसी जांच के राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सिपुर्दगीनामे एवं मौके पर्चे पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों का आधिपत्य हो जिसके सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विपक्षी के पूर्वाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मनमकसुद तरिके से कार्यवाही कर प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के नाम पर आवंटन करवा दी गई जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं उनके पुर्वाधिकारियों का सदिप से आधिपत्य होकर प्रार्थीगण एवं उनके पुर्वाधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर उसे काबिल काश्त किया एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा हकत, बुवत की जा रही है एवं उससे ही प्रार्थीगण एवं उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। विपक्षीगण उक्त आवंटन की आड में प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमियों से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर चारों और पत्थर का कोट भी कर रखा है परन्तु विपक्षीगण बादग्रस्त कृषि भूमि पर आये और प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वे उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें और प्रार्थीगण की फसल को भी नुकसान कारित कर देगें। विपक्षीगण जोर जबरदस्ती उक्त अवैध आवंटन की आड में प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमियों से जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। आवंटन की गई भूमि आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद भी गलत रूप से आवंटन की गई है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आधिपत्य है। आवंटी ने आवंटन की शर्तों के अधीन नहीं आता है नही आयंटी भूमिहीन है और न ही आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है जिस कारण आवंटन अधिनियम की शर्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 से 2 के पुर्वाधिकारी बसन्तीलाल पिता गिरधारीलाल जी पालीवाल निवासी कंसुली को राजस्व गांव केसुली के आराजी नम्बर 2588 की भूमि के किये गये आवंटन दिनांक 28/08/1992 को निरस्त फरमाया जावे एवं भूमि को राजस्व अभिलेखों में बिलानाम विपक्षी संख्या 3 के नाम पुन दर्ज की जायें।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कियह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने राजस्व कर्मचारियों से गलत रूप से व मनमकसूद तरिके से भूमि आंवटित करवाई हो। इस तरह के मिथ्या आरोप तो कोई भी व्यक्ति कभी भी लगा सकता है। आवंटित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी आधिपत्य की थी और उनके देहावसान के बाद यह भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य में है और यदि भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के आधिपत्य में नहीं होती और उनके द्वारा भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जाता तो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों की पुष्ठि नहीं होती और इस तथ्य की पुष्ठि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट से भी होती है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताकर आंवटन को चूनौती दी है लेकिन उन्होनें उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कोई प्रमाण नहीं दिया है। आंवटन से पूर्व यदि यह भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में होती तो उस समय भूमि के बिलानाम होने के कारण प्रार्थीगण का कब्जा पी–14 में दर्ज होता या उन्हें कभी धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम को सूचना प्राप्त होता। प्रार्थीगण संख्या में ज्यादा और ताकतवर इसलिए वे अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने के लिए झूठेरूपेण अपना कब्जा बता रहे। प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का अप्रार्थीगण की खातेदारी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि पर न तो कभी कब्जा था न ही कभी कब्जा रहा है और यदि प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा रहा है तो वै इसका सबूत न्यायालय में पेश करे क्योंकि मौखिक रूप से तो कोई भी व्यक्ति कमी भी कह सकता है कि उसका अमूक भूमि पर कब्जा है। अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को नियमानुसार भूमि का आवंटन हुआ है और आवंटन के लिए अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने कोई गलत तथ्य नहीं बताया था। आवंटन के समय अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के परिवार पास कौनसी और कितनी भूमि थी इस तथ्य को प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है और वैसे भी किसी आवंटी के पास आवंटन के समय कोई भूमि होना ही उसे आवंटी की पात्रता से बाहर नहीं कर देता है क्योंकि भूमिहीन काश्तकार की परिधि से उस व्यक्ति को बाहर किया गया जिसके पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो। अप्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी को आवंटित कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है और अप्रार्थीगण द्वारा बनवाये गये पत्थर के कोट/बाउंड्रीवाल पर गलत रूप से अपना दावा कर रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि पर अपना कब्जा होना गलत बता रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 को ग्राम केसूली के आ0 नं0 2588 की भूमि में किये गये आवंटन दिनांक 28.08.1992 को कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी। अतः आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने विचारणीय प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव केसुली पटवार हल्का केसुली तहसील देलवाडा जिला राजसमदं में खाता संख्या 306 में आराजी नम्बर 2588 रकबा 1.5176 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी जो विपक्षीगण के पिता के पूर्वाधिकारी बसन्तीलाल पिता गिरधारीलाल जी को गलत रूप से विधि विरूद्ध आंवटित की गई। जबकि उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण का आधिपत्य होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी करीब 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर उपयोग. उपभोग करते चले आ रहे है। वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन नहीं था। और आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है अतः आवंटन नियमो के विपरीत होने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के पूर्वाधिकारी को कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयनुसार आवंटन की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आवंटी आवंटन दिनांक के दिन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 में विहित भूमिहीन कृषक हेतु निर्धारित पात्रता श्रेणी में होने से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के पूर्वाधिकारी को आवंटित की गई। उक्त अवलोकन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 व 2 के पूर्वाधिकारी को आवंटन, आवंटन प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। जहां तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे होने का प्रश्न है प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि आवंटन के समय वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा हों। यदि तर्क हेतु यह मान भी लिया जाये कि आज तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं तो भी वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता हैं। आवंटी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय भी गैर खातेदार आवंटी के कब्जे व अन्य शर्तो की पालना की जांच की जाती हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1986 के पेज संख्या 137 में यह उल्लेख किया गया है कि ''खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन नियम लागु नही होते हैं। नियम 14(4) के अर्न्तगत गैर खातेदारी हक तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत उसको सभी प्रकार के अधिकार जो एक खातेदार को होना चाहिए मिल जाते हैं।''

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद